"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 156] रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 जून 2003—आषाढ़ 7, शक 1925

पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जून 2003

अधिसूचना

क्रमांक 3027/4808/18/2002.—छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) की धारा 13 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण नियम, 2002 में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

संशोधन

1. उक्त नियमों में नियम 3 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्—

(1) अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार, कोई व्यक्ति अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दिनांक से एक वर्ष के भीतर प्राधिकारी को आवेदन करेगा. विशेष परिस्थितियों में प्राधिकारी इसके अतिरिक्त समय-सीमा 30 दिन तक बढ़ा सकेगा.

2. उक्त नियमों में नियम 4 के उपनियम (1) के खण्ड (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जावे, अर्थात्—

"परन्तु अनधिकृत विकास आवासीय उपयोग हेतु किया गया है तब विकसित फर्शीक्षेत्र के आधार पर नियमितिकरण किया जाएगा."

3. उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (1) में निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाय, अर्थात्—

(1) किसी आवेदक पर अधिरोपित होने वाली शास्तिक राशि को निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए "आवासीय प्रयोजन हेतु किये गये विकास को छोड़कर" अनधिकृत विकास का क्षेत्रवार बाजार मूल्य प्राधिकारी द्वारा नियत किया जावेगा और इसे विकसित क्षेत्र की इकाई क्षेत्र के रूप में दर्शित किया जा सकेगा.

4. उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (6) के खण्ड (i), (ii) एवं (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् —

(1) आवासीय प्रयोजन हेतु किया गया विकास के लिए, शास्ति की राशि अधिनियम की धारा 6-क के प्रावधान अनुसार अधिरोपित किया जाएगा.

5. उक्त नियमों में नियम 5 के उपनियम (8) को विलोपित किया जाए.

6. उक्त नियमों में नियम 6 के उपनियम (1) में दिनांक 1-4-1991 के स्थान पर दिनांक 1-11-1984 स्थापित किया जाए.

7. उक्त नियमों में नियम 8 के पश्चात् नियम 9 निम्नलिखित रीति से जोड़ा जाए, अर्थात्—

9 (1) धारा 6-ख में जिस किसी आवेदक ने अधिनियम की धारा 6-क में प्रावधानित राशि से अधिक शास्ति की राशि जमा किया है, वह इस संशोधित अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने के तारीख से 90 दिन के भीतर अतिरिक्त राशि वापस करने हेतु विहित प्राधिकारी को प्ररूप-छः में आवेदन प्रस्तुत करेगा.

(2) प्राधिकारी, प्ररूप-छः में आवेदक से आवेदन प्राप्त करने के पश्चात्, आवेदन प्राप्ति दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रकरण की जांच कर उचित आदेश जारी करेगा एवं सदस्य सचिव को तीस दिन के भीतर ऐसी राशि वापस करने हेतु निर्देश दे सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. सिन्हा, विशेष सचिव.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

प्रारूप-छः
(नियम-9 देखिए)

आवेदक द्वारा अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु अधिक जमा राशि की वापसी हेतु आवेदन

प्रति,

सचिव,
जिला नियमितिकरण प्राधिकारी

मैं, छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास के नियमितिकरण अधिनियम 2002, की धारा 5 के अधीन, अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु, मेरे द्वारा अधिक जमा राशि की वापसी हेतु आवेदन प्रस्तुत करता हूं. मैं, एतद्द्वारा निम्नलिखित आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करता हूं—

1. आवेदक का नाम

2. स्वामित्व संबंधी हक

3. भूमि का विवरण, राजस्व मोहल्ला, नगर निवेश योजना, सर्वे क्रमांक/प्लाट नं./खसरा नं.

4. जिला नियमितिकरण प्राधिकारी द्वारा जारी मांग नोटिस क्रमांक एवं दिनांक.

5. जमा राशि का विवरण

(एक) जमा राशि रु. .....

(दो) ट्रेजरी चालान क्रमांक एवं दिनांक .....

(तीन) ट्रेजरी का नाम .....

6. अधिनियम में वर्तमान संशोधन के फलस्वरूप शास्ति की वास्तविक राशि. .....

7. वापसी योग्य राशि .....

तारीख :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर
(आवेदक का पूरा नाम एवं पता)

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Raipur, the 28th June 2003

NOTIFICATION

No. 3027/4808/18/2002.—In exercise of the powers conferred by Section 13 of Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002), the State Government, hereby makes following amendments in the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Niyam, 2002.

AMENDMENTS

1. In the said Rules, for sub-rule (1) of Rule 3, following sub-rules shall be substituted, namely :—

(1) As per the provisions of Section 5 of the Act, a person shall make an application for regularisation of an Unauthorised development to the Authority, within one year from the date of notification of these rules by the State Government. The Authority in its discretion, can extend time limit for thirty days, under special circumstances.

2. In the said Rules, after clause (iii) of sub-rule (1) of Rule 4, the following proviso shall be inserted namely :—

"Provided that the unauthorised development being used for residential purposes shall be regularised only, on the basis of its developed floor area."

3. In the said Rules, for sub-rule (1) of Rule 5, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

(1) For the purpose of deciding penal amount to be imposed on any applicant, "except for the developments carried out for residential purposes," the area wise market value of unauthorised development, shall be fixed by the Authority and represented as per unit developed area.

4. In the said Rules, for Clause (i), (ii) and (iii) of sub-rule (6) of Rule 5, the following sub-rules shall be substituted, namely :—

(One) For the developments carried out for residential purposes, the penalty shall be imposed on the basis of provisions made in the Section 6-A of the Act.

5. In the said Rules, sub-rule 8 of Rule 5 shall be omitted.

6. In the said Rules, in sub-rule (1) of Rule 6, the date 1-11-1984 shall be substituted for 1-4-1991.

7. In the said Rule, after Rule 8, Rule 9 shall the added in the following manner :—

9. (1) Under the provisions of Section 6-B, the applicant who has deposited more penalty then prescribed as per the provisions of the Section 6-A of the Principal Act, shall apply within 90 days from the date of the notification of this amendment in the official Gazette, to the Authority for the refund of the additional deposited amount in form-VI.

(2) The Authority after receiving the application in form-VI from the applicant, shall examine and pass a suitable order within 30 days of the receipt of application and may direct the Member-secretary to refund the amount who will do so within 30 days.

By order and in the name of the Govenor of Chhattisgarh,
B. K. SINHA, Special Secretary.

Form-VI
(See Rule 9)

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Refund of excess amount deposited by the applicant for regularisation of Unauthorised Development

To,

Secretary,
District Regularisation Authority
District.....

I, hereby, submit an application for refund of excess amount deposited by me for regularisation of unauthorised development under Section 5 of Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikaran Adhiniyam, 2002. I hereby submit the following necessary information.

1. Name of Applicant

2. Ownership title

3. Description of land, revenue village, Town Planning Scheme, Survey No./Plot No./ Khasra No.

4. Date & No. of demand notice issued by the District Regularisation Authority.

5. Detail of amount deposited

   (i) Amount deposited : Rs. .....

   (ii) Treasury Challan No.....dated.....

   (iii) Name of the treasury .....

6. Actual amount of penalty to be imposed vide the latest amendment in the Act. Rs.....

7. Amount to be refunded. Rs. .....

Dated :

Place :

Signature of the Applicant
(Full name and address)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

COURT BOO
EMPOWERING LEGAL CLA